संख्या:93/2019/3958जेएल/22-3-19-100(47)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 15 नवम्बर, 2019***

विषय: जिला कारागार पीलीभीत में निरूद्ध 04 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-32110/सामा-1(3)/पीलीभीत/2019, दिनांक 24/31-10-2019 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार पीलीभीत में निरूद्ध निम्नलिखित 04 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	विचाराधीन बंदी का नाम व पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	सन्तोष यादव उर्फ दरोगा पुत्र चन्द्रभान यादव	जि0का0 पीलीभीत	जि0का0 सहारनपुर
2	हरेन्द्र उर्फ भोलू पुत्र राजवीर शर्मा	जि0का0 पीलीभीत	जि0का0 सीतापुर
3	रूचिन पुत्र हरेन्द्र	जि0का0 पीलीभीत	जि0का0 अयोध्या
4	छोटे खां पुत्र उस्मान खां	जि0का0 पीलीभीत	के0का0 फतेहगढ़

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या:93/2019/3958जेएल(1)/22-3-19-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत/सहारनपुर/सीतापुर/अयोध्या/फर्रूखाबाद।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत/सहारनपुर/सीतापुर/अयोध्या/फर्रूखाबाद।
5. अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार पीलीभीत/सहारनपुर/सीतापुर/अयोध्या।
6. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in